कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।

संख्या /स0सु0/1–8(214)/ई–69047/2025 दिनांकः फरवरी, 2025

समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी,
समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि सचिव, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र संख्या–29/सीओआरएस/2021(भाग–6) दिनांक 10–02–2025 के अन्तर्गत मा0 समिति द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन बिना किसी उदासीनता के सुनिश्चित करने और मा0 समिति के निर्देशों के अनुपालन की आख्या दिनांक 15–04–2025 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मा0 समिति द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का संक्षिप्त विवरण/सार निम्न प्रकार इंगित किया जा रहा हैः–

1. प्रवर्तन कार्यवाही से सम्बन्धित–

(1) ओवर स्पीडिंग को हतोत्साहित करने हेतु कठोर प्रवर्तन की कार्यवाही किया जाना।
(2) नाबालिग द्वारा वाहन चलाने संबंधी नियम/प्राविधान का कड़ाई से अनुपालन कराना और उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध नियमानुसार प्रवर्तन की कार्यवाही किया जाना।
(3) छात्रों का परिवहन करने वाले स्कूल बसों एवं ऑटो रिक्शा में ओवर लोडिंग के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही किया जाना।
(4) फिटनेस एवं प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान वाहनों में स्पीड गवर्नर की जॉच किया जाना।
(5) स्थानीय/नॉन बीआईएस मानक वाले हैल्मेट की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाना और इनके विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही किया जाना।
(6) दुर्घटना बाहूल्य क्षेत्रों में प्रवर्तन की कार्यवाही को बढ़ाया जाना।
(7) हैल्मेट/सीट बैल्ट के उपयोग संबंधी प्राविधानों को लागू किया जाना एवं प्रवर्तन की कार्यवाही में सुधार किया जाना।
(8) रेड लाईट जम्पिंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, नशे की हालत में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करना, भार वाहनों में यात्री बैठाना अभियोगों में प्रवर्तन की कार्यवाही के साथ–साथ लाईसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।
(9) वाहनों को थर्ड पार्टी बीमा से आच्छादित कराया जाना और नियम का उल्लंघन कर संचालित होने वाले वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही किया जाना।
(10) गलत दिशा में वाहन चलाने संबंधी अभियोग में कार्यवाही किया जाना।
(11) प्रवर्तन कार्यवाही हेतु उपयोग किए जा रहे उपकरणों (स्पीड रडारगन, एल्कोमीटर, एएनपीआर आदि) को सही हालत में रखना।
(12) मोटर कानूनों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की गंभीरता से काउन्सलिंग

किया जाना।

2. अन्य बिन्दु–

(1). मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–135 के अन्तर्गत गठित समिति के माध्यम से गंभीर दुर्घटनाओं की जॉच कराया जाना।

(2) सड़क सुरक्षा संबंधी अभियोगों की पुनरावृत्ति करने वाले वाहन चालकों की पहचान करते हुए उनके लाईसेन्स के विरूद्ध निलम्बन आदि की कार्यवाही किया जाना।

(3) प्रवर्तन कार्यवाही संबंधी डाटा को 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट किया जाना।

(4) हिट एण्ड रन के मामलों में प्रभावित व्यक्तियों को यथाशीघ्र आर्थिक सहायता/मुआवजा प्रदान कराया जाना।

(5) जनपद सड़क सुरक्षा समितियों की मासिक आधार पर बैठक आहूत किया ना।

(6) संभाग/उपसंभाग में संचालित मोटर ड्राईविंग ट्रैनिंग स्कूलों का समय–समय पर ऑडिट/निरीक्षण किया जाना।

(7) यातायात की दृश्यता बाधित करने वाले होर्डिंग्स को हटाया जाना।

(8) सड़क सुरक्षा के प्रति वाहन स्वामियों/चालकों एवं अन्य हितधारकों को जागरूक किए जाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जाना।

(9) जनपदवार सड़क दुर्घटनाओं एवं मृतकों की संख्या में कमी लाए जाने हेतु जनपदवार कार्ययोजना बनाते हुए कार्यवाही किया जाना।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा समय–समय पर दिए गए उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और कृत कार्यवाही की मासिक आधार पर सूचना मुख्यालय प्रेषित की जाए।

Signed by
Sanat Kumar Singh
Date: 24-02-2025 16:37:22

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त/
अध्यक्ष लीड एजेन्सी,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त बिन्दुओं पर पुलिस विभाग स्तर से कार्यवाही किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति, उत्तराखण्ड।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त/
अध्यक्ष लीड एजेन्सी,
उत्तराखण्ड।